HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application No. 2262/2025

Omprakash S/o Chaturbhuj, Aged About 48 Years, Resident Of Gulgawn, Police Station Kekri Sadar, District Ajmer (Raj.) (Presetnly Accused-Appellant Confined In Central Jail Ajmer)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vishal Gurjar, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP with Mr. Navdeep Singh, AAAG

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

<u>Order</u>

<u>01/05/2026</u>

प्रकरण आज आई.ए. 1/2026 वास्ते अन्तरिम सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर सूचीबद्ध हुआ है, जिस पर सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्त को न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, संख्या–01, केकड़ी, जिला–अजमेर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–42/2022 अपराध अंतर्गत धारा 8/20(सी) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम में दोषी करार देते हुए अधिकतम 10 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त की माता का दिनांक 24.04.2026 को स्वर्गवास हो गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के पुत्र होने के नाते अपनी माता की मृत्यु के उपरांत सामाजिक रीति रिवाज सम्पन्न करने के लिए उसे 15 दिन की अवधि के लिये अन्तरिम जमानत की सुविधा प्रदान की जावे।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा तस्दीकशुदा तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

विचार किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उपरोक्तानुसार समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को अपनी माता की मृत्यु के उपरांत सामाजिक रीति रिवाज सम्पन्न करने के लिए **दिनांक 04.05.2026 से दिनांक 15.05.2026** तक की अवधि के लिए अंतरिम रूप से जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त **ओमप्रकाश पुत्र चतुर्भुज** की ओर से प्रस्तुत अन्तरिम सजा स्थगन/जमानत स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी के संतोषप्रद **एक लाख** रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व **पचास–पचास हजार** रूपये की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इन शर्तों के साथ प्रस्तुत की जाती हैं कि वह अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान शांति व सदव्यवहार बनाये रखेगा एवं अपराध की पुनरावर्ती नहीं करेगा एवं अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर दिनांक **16.05.2026** को **प्रातः 10:30 बजे** तक पुनः संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी के समक्ष आत्म समर्पण करेगा, तो प्रार्थी/अभियुक्त को **दिनांक 04.05.2026 से दिनांक 15.05.2026** तक की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पुनः दिनांक **16.05.2026** को संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करने या नहीं करने की सूचना संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित की जावे।

आदेश की प्रति कार्यालय द्वारा संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी को जरिए ई–मेल अविलम्ब प्रेषित की जावे।

तदनुसार आवेदन **आई.ए. 1/26** का निस्तारण किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /127 (S)